

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राज.जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग / न.आ / उदयपुर जोन / वी-62-22208 / 2024 / दिनांक:-

आदेश

श्रीमती वनिता बारोठ नर्सिंग ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, घोसुण्डा जिला चित्तौडगढ़ का उनकी स्वयं की प्रार्थना पर 17.04.2022 से 04.06.2022 तक कुल 49 दिवस का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD/Rules/2006-I दिनांक 25.10.2019 एवं दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में 30 दिवस से अधिक अवकाश उपभोग पर असाधारण अवकाश की सीमा तक कार्मिक के परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग / न.आ / उदयपुर जोन / वी-62-22208 / 2024 / 50 दिनांक:- 05-03-2024
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान को उनकी स्वीकृति दिनांक 14.02.2024 के क्रम में।
2. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) जयपुर, राजस्थान।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन-उदयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौडगढ़।
5. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
8. आदेश / निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
5820179

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :05-03-2024 04:08:44